

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा :

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक) भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी धारा 8, अनुसूची ख, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

बाइरैक के बोर्ड ने 24 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी 45वीं बोर्ड बैठक में नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर नीति) को मंजूरी दी। बाइरैक की सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई थी, जिसे कंपनी (नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 और 'डीपीई दिशानिर्देश' के साथ पढ़ा गया था।

सीएसआर नीति के लिए दूरदृष्टि और मिशन वक्तव्य :

दूरदृष्टि वक्तव्य : बाइरैक, अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, अपनी सेवाओं, आचरण और पहलों के माध्यम से समाज में और जिस समुदाय में यह संचालित होता है, उसमें मूल्य सृजन को बढ़ाना जारी रखेगा ताकि सामाजिक रूप से जिम्मेदार सीपीएसई के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने में समाज और समुदाय के लिए निरंतर विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

मिशन वक्तव्य : कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप इस नीति का उद्देश्य सामाजिक प्रभाव पैदा करने की दिशा में कार्यान्वयन और निगरानी के लिए अंतर्निहित तंत्र के साथ लंबी, मध्यम तथा छोटी अवधि में कंपनी विशिष्ट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यनीतियों को विकसित करना है।

2. सीएसआर समिति की संरचना :

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (22 जनवरी, 2021 से लागू) के अनुसार, यदि किसी कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो सीएसआर समिति के गठन की आवश्यकता होगी, जो लागू नहीं होगा और धारा 135 के तहत प्रदान की गई ऐसी समिति के कार्यों का निर्वहन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

इसलिए, इस प्रावधान के अनुसार और बाइरैक की सीएसआर नीति के अनुसार, निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमों, 2014 के साथ पठित सीएसआर समिति के कार्य का निर्वहन करेगा।

3. वेब-लंक जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया जाता है : www.birac.nic.in

4. कंपनी (नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें) : लागू नहीं

5. कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो : लागू नहीं

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपए में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपए में)
लागू नहीं			

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ : 3,67,32,355 रु.

7. (क) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत : 734,647 रु.

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : लागू नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो : लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख+7ग) : 734,647 रु.

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपए में)	अव्ययित राशि (रुपए में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची 7 के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
734,647/-	लागू नहीं				

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के प्रति खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची 7 में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपए में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपए में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपए में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन की विधि - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
लागू नहीं												

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची 7 में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की विधि - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	स्वच्छ भारत कोष में योगदान	मद (i)	नहीं	सम्पूर्ण भारत	सम्पूर्ण भारत	734,647	हां	स्वच्छ भारत कोष	लागू नहीं
कुल						734,647			

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि : शून्य

(ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो : शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ) : 734,647 रु.

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो : शून्य

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपए में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	734,647/-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	734,647/-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(iii)-(i)]	शून्य
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण :

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपए में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपए में)	धारा 135(6), के अनुसार अनुसूची ७ के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपए में)
				निधि का नाम	राशि (रुपए में)	स्थानांतरण की तिथि	
लागू नहीं							

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की जारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी।	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि (रुपए में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपए में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपए में)	परियोजना की स्थिति - पूर्ण / जारी
लागू नहीं								

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (परिसंपत्ति-वार विवरण) : लागू नहीं

(क) पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि : लागू नहीं

(ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु खर्च की गई सीएसआर की राशि : लागू नहीं

(ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि : लागू नहीं

(घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत परिसंपत्तियों का विवरण प्रदान करें : लागू नहीं

11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है : लागू नहीं

हस्ता./-

डॉ. अल्का शर्मा
(प्रबंध निदेशक)

हस्ता./-

श्री विश्वजीत सहाय
(निदेशक)

तिथि : 30.11.2021

स्थान : नई दिल्ली